न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दयानंद रूयल, **(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद सं.— 130 / 2022

सुमेर पुत्र स्व0 श्री किशनलाल जाति जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

— **वादी**

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री लहरीसिंह जाति जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. सुखेन्द्र स्व0 श्री लहरीसिंह जाति जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. सुरेन्द्र स्व0 श्री लहरीसिंह जाति जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. मोहित पुत्र स्व0 श्री विजेन्द्र जाति जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. अन्तरसिंह पुत्र स्व0 श्री किशनलाल जाति जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. उम्मेदसिंह पुत्र स्व0 श्री किशनलाल जाति जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. प्रतापसिंह पुत्र स्व0 श्री किशनलाल जाति जाट निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
9. जरिये शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

10. जरिये शाखा प्रबन्धक झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक –18.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 452 रकबा 8.92 है0 स्थित मौजा उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित है का वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 7 को उनके पैतृक संयुक्त हिस्सा 1/2 का अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 7 के उक्त संयुक्त हिस्सा 1/2 की भूमि का अलग राजस्व रिकॉर्ड बनाया जावें तथा पर्चा लगान भी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 7 का अलग से कायम किया जावें।

(ख) यह कि वाद–पत्र की धारा नम्बर 1 में वर्णित उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 254 का वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 7 का प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 के मध्य मौका कब्जे रिकॉर्ड व रास्ता का प्रावधान रखते हुए बाई मिट्स व बाई बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 7 के कब्जे शुदा संयुक्त हिस्से 1/2 का वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 7 का घोषित किया जाकर पर्चा लगान तथा खतौनी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 7 के नाम से अलग से कायम की जावें।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे क वो उक्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 7 के 1/2 हिस्से की कब्जेशुदा कृषि भूमि के कब्जा काश्त में दखल पैदा न करें तथा उनके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित न करें।

(घ) यह कि अन्य सिद्वी जो बहक वादी हो और भूल व गलती से चाही जाने से रह गई हो तो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावें।

(ड़) यह कि हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:–130/2022
सुमेर बनाम नरेन्द्र वगै0
निर्णय दिनांक:– 18.10.2023

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की और से श्री कृष्ण पाल सिंह एड0 ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया। वादी वकील एवं प्रतिवादीगण वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी वकील एवं प्रतिवादीगण के वकील ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि खसरा नम्बर 452 रकबा 8.92 है0 स्थित मौजा उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2023/1315 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूंरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी मूर्तिब हो।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:–130/2022
सुमेर बनाम नरेन्द्र वगै0
निर्णय दिनांक:– 18.10.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 130/2023

निर्णय दिनांक :– 18.10.2023

सुमेर **बनाम** नरेन्द्र वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री मदन सिंह एड0** तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से **श्री कृष्ण पाल सिंह एड0**, की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **18.10.2023** को दयानंद रूयल, **उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि खसरा नम्बर 452 रकबा 8.92 है0 स्थित मौजा उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक मू0अ0/2023/1315 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **18.10.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़